

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम २१० - ५६३

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक. 1942 का नियम - 129)

संध्या भगत
बनाम

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉ० लि०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 53 / 2015-16


वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)


अपीलार्थी श्रीमती संध्या भगत पति-श्री शिव कुमार भगत ग्राम-घाघरा थाना-घाघरा जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुम्बई को अपने स्वामित्व के निम्नांकित भूमि पर पेट्रोलियम ऑउटलेट खोलने हेतु 30 वर्षों की लीज में देने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी इस वाद को आगे जारी रखना नहीं चाहते हैं।

अतः अनुमति वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
गुमला


उपायुक्त,
गुमला